कार्यालय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग ,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज–2

कार्यालय आदेश संख्या 22 / किशनगंज, दिनांक 14.5.2020।

कार्यालय आदेश

दिघलबैंक प्रखंड अंतर्गत GTSNY योजनान्तर्गत **17930 से शेरशाहवादी टोला पथ (लम्बाई 1.00 कि0मी0)** के निर्माण और 05 वर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित) कार्य का एकरारनामा संवेदक परविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम मुहली धरूपुर, विरामगंज, जिला– रोहतास निर्माण कार्य राशि 63.310 लाख 05 वर्षीय अनुरक्षण कार्य मो0 1.759 लाख कुल राशि मो0 65.069 लाख के साथ किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि 02.02.2018 एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि 01.11.2018 निर्धारित थी।

2. विगत वर्षा /बाढ़ 2019 के उपरान्त कार्य स्थल का क्रैश इन्सपेक्शन के बाद इस कार्यालय के पत्रांक 2016 दिनांक 19.11.2019 द्वारा संवेदक को नोटिस निर्गत करते हुए अवशेष कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया था।

3. सहायक अभियंता (प्रखंड प्रभारी) **श्री जितेन्द्र कुमार** एवं कनीय अभियंता के साथ समीक्षा के बाद यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष मार्च 2020 की समाप्ति के बाद भी कार्य अभी तक अधूरा पड़ा है। सहायक अभियंता के स्तर पर संवेदक/उनके अधिकृत प्रतिनिधि को भिन्न–भिन्न तिथियों को एक दर्जन बार से अधिक नियमित एवं निरंतर अंतराल पर दूरभाष पर अधूरे कार्य को भौतिक रूप से पूर्ण करने हेतु अनुरोध किये जाने के बावजूद संवेदक के द्वारा कार्य को पूर्ण कराने में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।

4. सचिव महोदय के स्तर पर सरकार का पत्रांक मु0अ0–4(मु0) GTSNY-35-4/2019–423 पटना, दिनांक 05.05.2020 द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि GTSNY योजनाओं का कार्य को अधूरा छोड़ जानबूझ कर उदासीनता बरतने वाले संवदेक का एकरारनामा विखंडन करते हुए स्वीकृत कार्य को मानसून वर्षा के पूर्व निश्चित रूप से भौतिक कार्य पूर्ण करा दिये जाए ताकि स्थानीय बसावट को सम्पर्कता प्रदान किया जाना संभव हो सके। विभाग के स्तर पर यह भी निदेश प्राप्त हुआ है कि अगर संवेदक के द्वारा कार्य पूर्ण कराना संदिग्ध प्रतीत होता हो तो ऐसे में शेष कार्यों को विभागीय स्तर पर पूर्ण करा लिये जाए।

5. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक समीक्षा के उपरान्त स्पष्ट हो जाता है कि संवेदक **परविन्द्र कुमार सिंह**, ग्राम मुहली धरूपुर विरामगंज, जिला– रोहतास एकरानामा संख्या **87/GTSNY/SBD/17-18** को पूर्ण करने में कोई रूचि नहीं है, तथा उनके द्वारा अनेको बार सूचना दिये जाने के बावजूद कार्य स्थल पर कोई गतिविधि प्रारंभ नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दिनांक **11.05.2020** को कार्य स्थल पर 1. कनीय अभियंता श्री रामानन्द यादव 2. श्री सुनील कुमार रंजन, दिघलबैंक एवं सहायक अभियंता श्री जितेन्द्र कुमार, कार्य अवर प्रमंडल, दिघलबैंक द्वारा संयुक्त मापी ले ली गई है तथा अवशेष कार्य को तत्काल विभागीय रूप से पूर्ण कराने का आदेश दिया गया है। इसलिए उक्त संवेदक का कृत्य एस0बी0डी0 के सुसंगत कंडिका 52 के अधीन Fundamental Breach of Contract की श्रेणी में मानते हुए इनके एकरारनामा को विखंडन करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त विखंड आदेश के संदर्भ में संवेदक को कोई अपना पक्ष प्रस्तुत करना हो तब संवेदक को परामर्श दिया जाता है कि वे अपना पक्ष सक्षम पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज में पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर उपस्थापित करेगें।

12/05/20
A.E

12/05/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, किशनगंज--2